कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.05.2025

विषयः- वैश्यावृत्ति के प्रयोजन से नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर बेंच देने के मामले में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0070/2025 धारा 87/351(2)/143/123/137(2)/127(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व छबिल दास निवासी मटियरा पोस्ट बलुआ थाना बलुआ सकलडिहा जिला चन्दौली को आज दिनांक-29.04.2025 को समय करीब 11.40 बजे लठिया अण्डर पास के पास थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 14.03.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने उनकी नाबालिक पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष को व एक अन्य नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष को प्रतिवादीगण द्वारा बहला-फुसलाकर घर से ले जाकर लड़कियों को राजस्थान में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु बेच देने व पूछने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त जितेन्द्र कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरी पत्नी दोनों मिलकर लड़कियों को बेचने का काम करते हैं और उनसे मिले पैसे से हम लोग अपना खर्च व शौक पूरा करते हैं। इसी क्रम में दिनांक-08.04.2025 को हमने रोहनियां थानाक्षेत्र की दो लड़कियों को उनको काम दिलाने का झाँसा देकर अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर सड़क पर लाए, जहाँ पर पहले से ही एक चारपहिया गाड़ी खड़ी थी जिसके ड्राईवर से किराए के सम्बन्ध में बात कर हम लोग दोनों लड़कियों को उसी गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़े और कुछ दूर जाने पर हम लोगों ने एक दुकान से कोल्ड्रिंक लेकर उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर उन दोनों लड़कियों को पिला दिया जिससे दोनों लड़कियां बेहोश हो गयी। तब हम लोग उसी गाड़ी से दोनों लड़कियों को लेकर ग्राम भोजगढ़ थाना गुड़ा गौदजी जनपद झुंझुनू राजस्थान लेजा कर एक कमरे में बन्द कर दिए तथा घर वालों से पैसे लेकर हम लोग वापस बनारस आ गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व छबिल दास निवासी मटियरा पोस्ट बलुआ थाना बलुआ सकलडिहा जिला चन्दौली, उम्र करीब 34 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- लठिया अण्डर पास के पास थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से, दिनांक-29.04.2025 को समय करीब 11.40 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0070/2025 धारा 87/351(2)/143/123/137(2)/127(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

2- मु0अ0सं0 0189/2024 धारा 120-बी/366/376/419/420 आई0पी0सी0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ़्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1- उ0नि0 दिनेश सिंह थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

2- हे0का0 अमरनाथ यादव थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

3- हे0का0 जितेन्द्र कुमार थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।